115

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार

STATE ELECTION COMMISSION,
समाहरणालय, [illegible]
(जिला गोपनीय शाखा)
पत्र/जिला शाखा के कार्यालय का [illegible]
पत्र/केन्द्रीय पंजी संख्या- 3980
31 DEC 2014
जिलाधिकारी
[illegible]

पत्र संख्या–प०नि० 30–12/2014–2210
प्रेषक,

उप सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014

विषय :– पंचायत उप निर्वाचन, 2015 संपन्न कराये जाने पर सरकार की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के रिक्त पदों पर 01 मार्च, 2015 को मतदान संपन्न कराना चाहता है। राज्य के सभी जिलों से प्रतिवेदित रिक्तियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला परिषद सदस्य के 07 पद/पंचायत समिति सदस्य के 89 पद/ग्राम पंचायत मुखिया के 55 पद/ग्राम कचहरी सरपंच के 70 पद/ग्राम पंचायत सदस्य के 810 पद एवं ग्राम कचहरी पंच के 1206 पदों पर उप निर्वाचन संपन्न कराया जाना है।

2. राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों/ग्राम कचहरियों के रिक्त पदों पर उप निर्वाचन निम्न कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराना चाहता है :–

(क) पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना एवं प्रपत्र–5 में सूचना का प्रकाशन – 30.01.2015
(ख) नाम निर्देशन की अंतिम तिथि – 06.02.2015 (11 बजे पूर्वा० से 4 बजे अपराह्न तक)
(ग) संवीक्षा की अंतिम तिथि – 09.02.2015 (11 बजे पूर्वा० से 4 बजे अपराह्न तक)
(घ) अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि – 11.02.2015 (11 बजे पूर्वा० से 4 बजे अपराह्न तक)
(ङ) मतदान की तिथि – 01.03.2015 (7 बजे प्रातः से 5 बजे अपराह्न तक)
(च) मतगणना की तिथि (पुनर्मतदान नहीं होने पर) – 02.03.2015 (8 बजे प्रातः से)

3. अनुरोध है कि पंचायत उप निर्वाचन, 2015 के उक्त कार्यक्रम पर सरकार की सहमति से आयोग को शीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाय ताकि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह०/–
उप सचिव।

ज्ञापांक प०नि० 30–12/2014–2210 पटना, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014
प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव।

समाहरणालय, [illegible]
(जिला पंचायत राज कार्यालय)

ज्ञापांक 06 / पंचायत, [illegible] दिनांक 1.1.2015

प्रतिलिपि :– [illegible]